विचार बिन्दु

योग्य पति अपनी पत्नी को सम्मान की अधिकारिणी बना देता है। –मनु

राजस्थान में कलाओं के विस्तार में ललित कला अकादमी की भूमिका

राजस्थान का नाम लेते ही आँखों के सामने रंगों, रेखाओं, आकृतियों और लोक-स्मृतियों से सजा हुआ एक विराट सांस्कृतिक संसार उभरता है। यहाँ की हवेलियों की भित्तिचित्रकारी, किशनगढ़ की बणी-ठणी, बूंदी और कोटा की चित्रशैली, मेवाड़ की लघुचित्र परंपरा, फड़ चित्रांकन, मांडणा, कठपुतली, लोकमूर्तियाँ, धातु-कला, मृण्मूर्ति और आधुनिक चित्रकला ये सभी राजस्थान की बहुरंगी कला-परंपरा के जीवंत प्रमाण हैं। इस समृद्ध विरासत को संरक्षित करने, कलाकारों को प्रोत्साहन देने तथा कला को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुँचाने में राजस्थान ललित कला अकादमी की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है।

राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। इसका उद्देश्य प्रदेश में ललित कलाओं का प्रचार-प्रसार करना, कलाकारों की रचनात्मक क्षमता को विकसित करना, कला-परंपराओं का संरक्षण करना और नए कलाकारों को उचित मंच उपलब्ध कराना है। अकादमी जयपुर स्थित अपने परिसर से चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, छायाचित्रण, लोक एवं समकालीन कला जैसी विविध विधाओं को प्रोत्साहित करती है। यह संस्था कलाकार और समाज के बीच एक सृजनात्मक सेतु का कार्य करती है।

राजस्थान की कला-परंपरा का स्वरूप अत्यंत विस्तृत और विविधतापूर्ण है। मरुस्थलीय जीवन, लोकविश्वास, धार्मिक आख्यान, वीरगाथाएँ, प्रकृति, पशु-पक्षी, ग्रामीण जीवन और राजसी संस्कृति यहाँ की कला के प्रमुख विषय रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट चित्रशैलियाँ विकसित हुईं। मेवाड़ की चित्रकला में धार्मिकता और लोकजीवन की सहजता दिखाई देती है, जबकि बूंदी और कोटा की चित्रशैली में प्रकृति, शिकार और राजदरबार के दृश्य प्रमुख हैं। किशनगढ़ शैली अपनी कोमल भावाभिव्यक्ति और सौंदर्यबोध के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियों के भित्तिचित्र सामाजिक इतिहास और लोक-संस्कृति के दस्तावेज हैं।

ऐसी समृद्ध परंपराओं को केवल संग्रहालयों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें वर्तमान जीवन से जोड़ना भी आवश्यक है। राजस्थान ललित कला अकादमी इसी दिशा में कार्य करती है। अकादमी पारंपरिक कलाओं के साथ-साथ आधुनिक और प्रयोगधर्मी कला को भी मंच प्रदान करती है। इससे कलाकारों को अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए नए माध्यमों, नई तकनीकों और नए विचारों के साथ सृजन करने का अवसर मिलता है।

अकादमी की सबसे प्रमुख गतिविधियों में कला-प्रदर्शनियों का आयोजन शामिल है। वार्षिक कला प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कलाकारों को अपनी कृतियाँ प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इन प्रदर्शनियों में चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला और अन्य दृश्य कलाओं का समावेश होता है। अनुभवी निर्णायकों द्वारा कृतियों का चयन किया जाता है और श्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इससे कलाकारों को पहचान, सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

वार्षिक कला प्रदर्शनी केवल पुरस्कार देने का आयोजन नहीं होती, बल्कि यह प्रदेश के कला-परिदृश्य का वार्षिक मूल्यांकन भी प्रस्तुत करती है। इसमें यह देखा जा सकता है कि कलाकार किन विषयों पर काम कर रहे हैं, उनकी तकनीक में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और समाज की बदलती परिस्थितियाँ कला में किस प्रकार अभिव्यक्त हो रही हैं। उदाहरण के लिए, हाल के आयोजनों में शहरी जीवन, पर्यावरण, स्त्री-अनुभव, लोकपरंपरा, बचपन, ग्रामीण जीवन और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों को स्थान मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान की कला परंपरा स्थिर नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाली जीवंत धारा है।

अकादमी का दूसरा महत्त्वपूर्ण योगदान युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। किसी भी कला-परंपरा की निरंतरता तभी बनी रह सकती है, जब नई पीढ़ी उससे जुड़े। अनेक युवा कलाकार प्रतिभाशाली होते हुए भी आर्थिक कठिनाइयों, उचित मार्गदर्शन और प्रदर्शन के अवसरों के अभाव में पीछे रह जाते हैं। अकादमी प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, कला शिविरों, कार्यशालाओं और पुरस्कारों के माध्यम से ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर देती है।

युवा कलाकारों के लिए कला-शिविर विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। शिविरों में विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकार एक-दूसरे की कार्यशैली को समझते हैं और अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं। वरिष्ठ कलाकारों के मार्गदर्शन से युवा कलाकारों को तकनीकी ज्ञान, विषय-विस्तार और प्रस्तुतीकरण की नई दृष्टि प्राप्त होती है। कला केवल एकांत में बैठकर चित्र बनाने की प्रक्रिया नहीं है; यह संवाद, प्रयोग और सामूहिक अनुभव से भी विकसित होती है। अकादमी के शिविर इस संवाद को संभव बनाते हैं।

अकादमी कला-व्याख्यानों, संगोष्ठियों और परिचर्चाओं के माध्यम से कला के सैद्धांतिक पक्ष को भी मजबूत करती है। कला इतिहास, आधुनिक कला, लोक कला, संरक्षण, संग्रहालय-विज्ञान, कला-बाजार और डिजिटल माध्यमों पर आयोजित कार्यक्रम कलाकारों, विद्यार्थियों और कला-प्रेमियों के लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। इससे कला केवल प्रदर्शन की वस्तु न रहकर विचार और विमर्श का विषय बनती है।

राजस्थान की लोक और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण में भी अकादमी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। मांडणा, फड़, लघुचित्र, भित्तिचित्र, लोकमूर्तिकला और पारंपरिक हस्तकला जैसी विधाएँ केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं हैं; उनमें समुदायों की स्मृतियाँ, धार्मिक आस्थाएँ, सामाजिक मान्यताएँ और जीवन-पद्धतियाँ भी सुरक्षित रहती हैं। आधुनिकता और बाज़ार के दबाव में अनेक पारंपरिक कलाएँ धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। अकादमी इन कलाओं को प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के माध्यम से नए दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करती है।

> **राजस्थान ललित कला अकादमी ने प्रदेश की कला-यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया है। उसने कलाकारों को मंच दिया, प्रदर्शनियों की परंपरा विकसित की, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और कला को सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाया। आज आवश्यकता है कि अकादमी अपने कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाए तथा कला को राजधानी से निकालकर प्रदेश के गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों तक पहुँचाए।**

लोक कला को समकालीन संदर्भों से जोड़ना भी आवश्यक है। यदि पारंपरिक कला केवल अतीत की वस्तु बनकर रह जाए, तो उसकी जीवंतता समाप्त हो सकती है। अकादमी की भूमिका इस बात में है कि पारंपरिक कलाकारों को नए विषयों, नए बाजारों और नए माध्यमों से जोड़ा जाए। पारंपरिक शैली में पर्यावरण, जल-संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास और सामाजिक सद्भाव जैसे विषयों को चित्रित कराया जा सकता है। इससे लोक कला अपने मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए वर्तमान समय से संवाद कर सकेगी।

अकादमी कलाकारों के सम्मान और प्रोत्साहन की परंपरा को भी आगे बढ़ाती है। पुरस्कार किसी कलाकार के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं होते, बल्कि वे उसकी साधना की सामाजिक स्वीकृति का प्रतीक होते हैं। एक कलाकार वर्षों तक अभ्यास, संघर्ष और आत्मानुशासन के बाद अपनी पहचान बनाता है। जब किसी संस्थागत मंच पर उसकी कृति को सम्मान मिलता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अधिक गंभीरता से सृजन करता है। वरिष्ठ कलाकारों का सम्मान युवा पीढ़ी को यह संदेश देता है कि कला-साधना समाज में प्रतिष्ठित और महत्त्वपूर्ण कार्य है।

अकादमी कला-संग्रह और अभिलेखीकरण के क्षेत्र में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती है। किसी भी प्रदेश की कला-धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए कृतियों का संग्रह, कलाकारों का परिचय, कला-शैलियों का दस्तावेजीकरण और प्रदर्शनियों का अभिलेख आवश्यक है। राजस्थान के अनेक कलाकारों ने दशकों तक महत्वपूर्ण कार्य किया, लेकिन उनके जीवन और कृतियों का पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं हो सका। अकादमी द्वारा कलाकारों की कृतियों का व्यवस्थित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ प्रदेश की कला-यात्रा को समझ सकें।

डिजिटल युग में अकादमी की भूमिका और भी व्यापक हो गई है। डिजिटल माध्यमों के कारण कला अब किसी एक शहर या प्रदेश तक सीमित नहीं रहती। ऑनलाइन प्रदर्शनी, डिजिटल संग्रहालय, कलाकारों की डिजिटल प्रोफाइल, आभासी दीर्घाएँ और सामाजिक माध्यमों पर कला-प्रस्तुति के माध्यम से राजस्थान के कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शक मिल सकते हैं।

अकादमी को विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ भी सक्रिय संबंध स्थापित करने चाहिए। कला शिक्षा केवल चित्र बनाने की तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, कल्पनाशक्ति, अवलोकन क्षमता और सौंदर्यबोध विकसित होता है। यदि अकादमी विद्यालयों में कला-शिविर, चित्रकला प्रतियोगिता, लोककला परिचय कार्यक्रम और कलाकारों से संवाद आयोजित करे, तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी कला से जुड़ सकते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों तक पहुँचना इस प्रयास की विशेष प्राथमिकता होनी चाहिए।

कला के विस्तार में भौगोलिक विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। जयपुर राज्य का प्रमुख कला-केंद्र है, लेकिन कला केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, बूंदी, भरतपुर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में भी कला की समृद्ध परंपराएँ हैं। अकादमी को संभागीय और जिला स्तर पर नियमित प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और कला संवाद आयोजित करने चाहिए। इससे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को जयपुर तक आने की कठिनाई से मुक्ति मिलेगी।

राजस्थान में कला के विकास के लिए अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय भी जरूरी है। जवाहर कला केंद्र, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय लोक कला मंडल, राजस्थान विश्वविद्यालय, कला महाविद्यालय, संग्रहालय, निजी कला दीर्घाएँ और स्वयंसेवी संस्थाएँ अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। यदि इन संस्थाओं के बीच साझा कार्यक्रम, संयुक्त प्रदर्शनियाँ, कलाकार विनिमय और शोध परियोजनाएँ संचालित हों, तो कला-जगत को व्यापक लाभ मिल सकता है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग से राजस्थान के कलाकारों को देश के अन्य भागों में भी अवसर मिल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ललित कला अकादमी प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, व्याख्यानों और कलाकार सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से दृश्य कला को प्रोत्साहित कर सकती है।

अकादमी के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। कला-प्रदर्शनियों की संख्या बढ़ाना, पारदर्शी चयन प्रक्रिया बनाए रखना, कलाकारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण कलाकारों तक पहुँचना, कला-बाजार से जोड़ना और स्थायी कला-संग्रह विकसित करना समय की आवश्यकता है। अनेक कलाकार अपनी कृतियों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। अकादमी को कला-विक्रय, कला-परामर्श और ऑनलाइन प्रदर्शनी के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। इससे कलाकारों को आजीविका का सहारा मिलेगा और कला-सृजन अधिक व्यापक होगा।

महिला कलाकारों, दिव्यांग कलाकारों, आदिवासी समुदायों और वंचित वर्गों से आने वाले कलाकारों के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। राजस्थान के जनजातीय अंचलों में अनेक लोककलाएँ और शिल्प परंपराएँ आज भी जीवित हैं। इन कलाकारों की प्रतिभा को मुख्यधारा के कला-मंच से जोड़कर न केवल उन्हें सम्मान दिया जा सकता है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को भी मजबूत किया जा सकता है।

राजस्थान ललित कला अकादमी ने प्रदेश की कला-यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया है। उसने कलाकारों को मंच दिया, प्रदर्शनियों की परंपरा विकसित की, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और कला को सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बनाया। आज आवश्यकता है कि अकादमी अपने कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाए तथा कला को राजधानी से निकालकर प्रदेश के गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों तक पहुँचाए।

कला किसी समाज का मौन इतिहास होती है। वह उन अनुभवों को अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में कहना कठिन होता है। राजस्थान की कला में यहाँ की रेत, लोकजीवन, संघर्ष, आस्था, उत्सव और मानवीय संवेदना का गहरा रंग दिखाई देता है। ललित कला अकादमी इस रंग-संसार की संरक्षक ही नहीं, बल्कि उसकी नई दिशाओं की खोजी भी है। यदि अकादमी परंपरा और आधुनिकता, लोक और शास्त्र, गाँव और शहर तथा कलाकार और दर्शक के बीच सशक्त संवाद स्थापित करती रहे, तो राजस्थान की कला न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी विशिष्ट पहचान और प्रभाव बनाए रखेगी।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार

मतदाता सूचियां, निर्वाचन आयोग और प्रमाण आधारित सार्वजनिक विमर्श : तथ्य, आरोप और कानून

सूर्यप्रताप सिंह राजावत

निर्वाचन आयोग के कामकाज से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण संविधान, कानून, नियम, आधिकारिक अभिलेख, न्यायिक निर्णय और उपलब्ध प्रमाणों की कसौटी पर किया जाना चाहिए। मतदाता सूचियों, निर्वाचन आयुक्तों, मतदाता विवरणों और तकनीक को लेकर प्रश्न उठते हैं। इसलिए तथ्यों, लगाए गए आरोपों, कानूनी स्थिति और उपलब्ध प्रमाणों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग समझना आवश्यक है।

तथ्य : मतदाता सूची की शुद्धता– मतदाता सूची की शुद्धता स्वयं एक वैधानिक आवश्यकता है। Representation of the People Act, 1950 में मतदाता के पंजीकरण, सामान्य निवास, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण तथा त्रुटिपूर्ण या अपात्र प्रविष्टियों के सुधार और विलोपन से संबंधित व्यवस्था है। धारा 19 पंजीकरण का आधार प्रदान करती है। कानून एक व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अथवा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण को रोकता है। धारा 22 के अंतर्गत प्रविष्टि के संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन से पहले उचित सत्यापन की आवश्यकता है। अतः अपात्र, मृत अथवा डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना वैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। साथ ही पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से न हटे, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

आरोप या दावा : सॉफ्टवेयर का संभावित दुरुपयोग-सॉफ्टवेयर के संभावित दुरुपयोग का प्रश्न सार्वजनिक विमर्श में उठाया जाता है। तथ्य यह है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची और निर्वाचन प्रशासन में तकनीक का उपयोग करता है। ERONET जैसी प्रणालियाँ निर्वाचन सूची प्रबंधन में उपयोग की जाती हैं। लेकिन यह अलग और अधिक गंभीर दावा है कि किसी सॉफ्टवेयर को किसी राजनीतिक दल या हित के पक्ष में जानबूझकर तैयार या संचालित किया गया। उपलब्ध सामग्री इस आरोप को स्थापित तथ्य के रूप में सिद्ध नहीं करती। ऐसे आरोप के लिए विशिष्ट तकनीकी या दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक होंगे। इसलिए तकनीक की पारदर्शिता और ऑडिट-योग्यता पर प्रश्न उठाना तथा सॉफ्टवेयर को राजनीतिक रूप से पक्षपाती घोषित करना दो अलग बातें हैं।

तथ्य और कानूनी स्थिति : निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति– Anoop Baranwal v. Union of India (2023) में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित चयन व्यवस्था निर्धारित की थी। इसके पश्चात संसद ने Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 पारित किया। इसकी धारा 7 के अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता को रखा गया है। यह वैधानिक तथ्य है। इसके विपरीत, यह कहना कि इस परिवर्तन से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निश्चित रूप से कमजोर हुई है, एक अलग संवैधानिक दावा है। उसका मूल्यांकन कानून, संस्थागत संरचना, सुरक्षा उपायों और न्यायिक परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।

तथ्य और कानूनी स्थिति : निर्वाचन आयुक्तों का संरक्षण-2023 के अधिनियम की धारा 16 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के दौरान किए गए कुछ कार्यों, बातों या कृत्यों के संबंध में निर्धारित दीवानी अथवा आपराधिक कार्यवाही से वैधानिक संरक्षण प्रदान करती है। इसे संविधान प्रदत्त प्रत्यक्ष प्रतिरक्षा के बजाय वैधानिक संरक्षण कहना अधिक सटीक है। संरक्षण का अस्तित्व तथ्य है, जबकि उसकी वैधता और सीमा अलग कानूनी प्रश्न हैं। अनुच्छेद 324(5) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा का महत्व है।

आरोप या दावा : नामों और वर्तनी के आधार पर बहिष्करण-वर्तनी के मिलान में प्रशासनिक कठिनाई दिखाई देती है। निर्वाचन आयोग के SIR 2026 सर्चपोर्टल पर उल्लेख है कि पुराने और वर्तमान मतदाता रिकॉर्ड में नामों की वर्तनी अलग हो सकती है। मतदाताओं को वैकल्पिक वर्तनी से खोज करने की सलाह दी गई है और "Maneesh" तथा "Manish" जैसे उदाहरण दिए गए हैं। नाम और अन्य विवरणों से भी खोज की सुविधा है। यह रिकॉर्ड के मिलान में वर्तनी और लिप्यंतरण की कठिनाई दर्शाता है। लेकिन इन अंतरों का जानबूझकर पात्र मतदाता को बाहर करने के लिए उपयोग किया गया, यह अलग आरोप है। ऐसे मामलों के लिए स्वतंत्र प्रमाण आवश्यक होंगे। केवल वर्तनी का अंतर जानबूझकर बहिष्करण का प्रमाण नहीं है।

तथ्य : प्रवास और सामान्य निवास-Representation of the People Act, 1950 की धारा 20(1A) स्पष्ट करती है कि सामान्य निवास स्थान से अस्थायी अनुपस्थिति मात्र व्यक्ति को सामान्य निवासी नहीं रहने वाला नहीं बनाती। इसलिए रोजगार, शिक्षा अथवा आजीविका के लिए बाहर रहने वाले व्यक्ति को केवल इस आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता कि वह अपने मूल स्थान पर उपस्थित नहीं है। निर्वाचन आयोग ने पंजीकरण, सुधार, निवास परिवर्तन, विलोपन पर आपत्ति और मतदाता सूची में नाम की जांच जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। अतः सुधारात्मक व्यवस्था का अस्तित्व एक स्थापित तथ्य है।

आरोप या दावा : वृद्ध मतदाताओं और दस्तावेजी असंगतियों का प्रश्न-दस्तावेजी विवरणों में अंतर से मतदाता को कठिनाई की आशंका व्यक्त की जा सकती है। दस्तावेजी असंगतियों वाले नागरिकों की व्यावहारिक कठिनाइयों की जांच उचित है। लेकिन यह दावा कि वृद्ध मतदाताओं को व्यवस्थित रूप से केवल आयु के दस्तावेजी प्रमाण के कारण बाहर किया जा रहा है, उपलब्ध सामग्री से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं कहा जा सकता। प्रशासनिक कठिनाई की संभावना और व्यवस्थित बहिष्करण के आरोप को अलग रखना आवश्यक है।

तथ्य : बिहार SIR पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय-बिहार की Special Intensive Revisions से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का 27 मई 2026 का निर्णय, Association for Democratic Reforms v. Election Commission of India, 2026, इस विमर्श में महत्वपूर्ण संदर्भ है। न्यायालय ने मतदाता सूचियों की शुद्धता से संबंधित प्रवास, मृत्यु की सूचना दर्ज न होने और डुप्लीकेट प्रविष्टियों जैसी समस्याओं पर विचार किया। मतदाता सूची की शुद्धता वास्तविक प्रशासनिक और संवैधानिक विषय है। लेकिन किसी समस्या पर न्यायिक विचार का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाचन आयोग के विरुद्ध लगाए गए प्रत्येक आरोप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं।

पैरा 55 में न्यायालय ने कहा कि SIR ve lees Representation of the People Act और 1960 के Rules से टकराती है और न स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की संवैधानिक अनिवार्यता से विचलित होती है। न्यायालय ने को R.P. Act की धारा 21(3) को संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पढ़े जाने पर प्राप्त वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकार-क्षेत्र से उत्पन्न प्रक्रिया माना। यह न्यायिक निष्कर्ष के विधिक आधार से संबंधित है; इससे सॉफ्टवेयर के राजनीतिक दुरुपयोग या प्रत्येक हटाए गए नाम के अवैध होने जैसे अलग आरोप स्वतः सिद्ध नहीं होते।

निष्कर्ष : तथ्य, आरोप और प्रमाण-मतदाता सूची का पुनरीक्षण अपने आप में अवैध नहीं है; कानून इसकी अनुमति देता है। वास्तविक प्रश्न है कि प्रक्रिया कानून, सत्यापन और सुधार के अवसर के साथ कैसे लागू होती है। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रत्येक आरोप को संविधान, ंजिर्हृगदह दृप झदर्ज्ञ्मू, 1950, ुिंगदह दृतंम्दे ल्ते, 1960, लागू नियमों-विनियमों, निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा संबंधित वास्तविक प्रक्रिया के संदर्भ में जांचा जाना चाहिए।

संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना और आरोप में अंतर बनाए रखना भी आवश्यक है। तथ्य को आरोप और आरोप को सिद्ध तथ्य बताना सार्वजनिक विमर्श को भ्रमित कर सकता है। इसलिए पहले कानून और नियमों को देखा जाए, फिर प्रक्रिया को समझा जाए, उसके बाद वास्तविक तथ्यों और उपलब्ध प्रमाणों का सत्यापन किया जाए और अंत में निष्कर्ष निकाला जाए। यही प्रमाण-आधारित संवैधानिक विमर्श की अपेक्षा है।

–सूर्यप्रताप सिंह राजावत,
एडवोकेट
राज. हाईकोर्ट, जयपुर

रावल लक्ष्मणसिंह के काल से जुड़ा बाबा रामदेव मंदिर और रामदेसर बेरी, सामने विराजित है डांगरा परिवार की कुलदेवी शेढल माता

अचलदास डांगरा

जैसलमेर दुर्ग केवल पीले पत्थरों से निर्मित एक ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि इसकी प्रत्येक पोल, चौक, मंदिर, कुआं और हवेली अपने भीतर सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और लोकजीवन की कहानी समेटे हुए है। दुर्ग के प्रवेश मार्ग पर स्थित अखेपोल चौक भी ऐसी ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्मृतियों का साक्षी है, जहां लोकमान्यताओं के अनुसार रावल लक्ष्मणसिंह के काल से बाबा रामदेवजी की भक्ति, जलसेवा और कुलदेवी आराधना की परंपरा जुड़ी हुई है।

जैसलमेर दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध अखेपोल को पार करते ही जिस चौक में प्रवेश होता है, वहां सबसे पहले दिखाई देने वाले प्राचीन धार्मिक स्थलों में बाबा रामदेवजी का मंदिर प्रमुख है। स्थानीय इतिहास और लोकमान्यताओं में इस मंदिर के निर्माण को रावल लक्ष्मणसिंह के काल से जोड़ा जाता है। रावल लक्ष्मणसिंह का शासनकाल 14वीं-15वीं शताब्दी का माना जाता है और लोकदेवता बाबा रामदेवजी भी इसी कालखंड के महान संत एवं लोकनायक माने जाते हैं।

सामने कुलदेवी शेढल माता का प्राचीन मंदिर- बाबा रामदेवजी मंदिर के ठीक सामने डांगरा परिवार की कुलदेवी शेढल माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण डांगरा जयदेव द्वारा संवत 1313 में करवाया गया था। यह मंदिर जैसलमेर के माहेश्वरी समाज के डांगरा, पंसारी और गोलकिया परिवारों की प्राचीन कुलदेवी की आराधना का प्रमुख केंद्र रहा है। इस प्रकार अखेपोल चौक में आमने-सामने स्थित ये दोनों धार्मिक स्थल जैसलमेर की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत के दो महत्वपूर्ण पक्षों को सामने रखते हैं-एक ओर लोकदेवता बाबा रामदेवजी की लोकआस्था और दूसरी ओर कुलदेवी शेढल माता की पारिवारिक एवं सामाजिक आराधना।

रामदेसर बेरी-आस्था के साथ जलसेवा की परंपरा -अखेपोल चौक की इस धार्मिक परंपरा से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण स्मृति-चिह्न है रामदेसर बेरी, जिसे स्थानीय लोग रामदेसर कुएं के रूप में भी जानते हैं।

लोकमान्यता है कि बाबा रामदेवजी के मंदिर की स्थापना के समय श्रद्धालुओं, यात्रियों और चौक के निवासियों के लिए मीठे पानी की व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस जलस्रोत का निर्माण कराया गया। इसे बाबा रामदेवजी के प्रति श्रद्धा से जोड़ते हुए रामदेसर नाम दिया गया। स्थानीय इतिहास में यह मान्यता भी मिलती है कि रामदेसर बेरी का निर्माण रावल लक्ष्मणसिंह के समय अथवा राजपरिवार के संरक्षण में कराया गया था। हालांकि इस संबंध में उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों का स्वतंत्र दस्तावेजी सत्यापन आवश्यक है, लेकिन लोकस्मृति में रामदेसर बेरी और बाबा रामदेव मंदिर का संबंध लंबे समय से जीवित है।

दुर्ग में प्रवेश के साथ ही आस्था का संदेश -जैसलमेर दुर्ग की स्थापत्य योजना में प्रवेश द्वारों का विशेष महत्व रहा है। अखेपोल से भीतर प्रवेश करने वाला व्यक्ति इसी चौक में पहुंचता है। पुराने समय में ऐसे चौक केवल आवागमन के स्थान नहीं थे, बल्कि सुरक्षा, सामाजिक गतिविधियों और धार्मिक जीवन के भी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। अखेपोल चौक की बनावट और स्थिति को देखते हुए यह स्थान दुर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण रहा होगा। आज भी यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्राचीन मंदिरों की उपस्थिति जैसलमेर की उस परंपरा का परिचय देती है जिसमें धर्म, जल और लोकजीवन एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

रामदेसर बेरी से जल मंदिर तक-सेवा की परंपरा कायम - समय के साथ दुर्ग के इस हिस्से में परिस्थितियां बदलीं। बाबो भली करे संस्था की देखरेख में बाबा रामदेवजी मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हुआ। मंदिर के सामने स्थित ऐतिहासिक रामदेसर बेरी को श्रद्धालुओं की सुविधा और चौक के विकास की दृष्टि से बंद किया गया तथा यहां विशाल चौक का स्वरूप विकसित किया गया। इसी क्रम में स्वर्गीय बद्री प्रसाद डांगरा की स्मृति में उनके परिवारजनों द्वारा शीतल पेयजल की सुविधा के लिए जल मंदिर का निर्माण कराया गया। यह परिवर्तन केवल एक पुराने जलस्रोत के स्थान पर नई व्यवस्था खड़ी करने की कहानी नहीं है। इसे व्यापक अर्थ में देखें तो यह जैसलमेर की उस पुरानी परंपरा की निरंतरता है जिसमें धार्मिक स्थलों के साथ पेयजल और जनसेवा को भी महत्व दिया जाता था।

इतिहास की परतों में दर्ज एक जीवंत चौक -अखेपोल चौक को यदि ध्यान से देखा जाए तो यहां इतिहास की कई परतें एक साथ दिखाई देती हैं-प्राचीन दुर्ग, प्रवेश द्वार, बाबा रामदेवजी का मंदिर, सामने स्थित शेढल माता का मंदिर, रामदेसर बेरी की स्मृति और वर्तमान में निर्मित जल मंदिर। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक ओर रावल लक्ष्मणसिंह के काल से जुड़ी लोकमान्यता है, दूसरी ओर संवत 1313 से जुड़ी शेढल माता मंदिर की परंपरा और तीसरी ओर वर्तमान पीढ़ी द्वारा जलसेवा के रूप में निभाई जा रही सामाजिक जिम्मेदारी। जैसलमेर की ऐतिहासिक विरासत का वास्तविक अर्थ केवल पत्थरों और स्थापत्य को सुरक्षित रखना नहीं है। इन स्थानों से जुड़ी लोकस्मृतियों, धार्मिक परंपराओं, जलस्रोतों और जनसेवा की भावना को भी सुरक्षित रखना उतना ही आवश्यक है।

अखेपोल चौक इसी जीवंत विरासत का उदाहरण है-जहां सदियों पुरानी आस्था आज भी वर्तमान की सेवा भावना से जुड़ती दिखाई देती है। 25 साल की स्थानीय पत्रकारिता के अनुभव से देखें तो जैसलमेर दुर्ग की ऐसी छोटी-छोटी स्मृतियां ही उसके बड़े इतिहास को जीवंत बनाती हैं। रामदेसर बेरी की स्मृति और उसके स्थान पर निर्मित जल मंदिर इस बात का उदाहरण हैं कि समय बदल सकता है, व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, लेकिन लोकसेवा और आस्था की परंपरा पीढ़ियों तक आगे बढ़ सकती है।

–अचलदास डांगरा,
वरिष्ठ पत्रकार, जेठापाड़ा
जैसलमेर

राशिफल शुक्रवार 9 अक्टूबर, 2026

पंडित अनिल शर्मा

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत-2083, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:20 तक, ब्रह्म योग रात्रि 11:21 तक, विष्टि करण प्रातः 9:56 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा प्रातः 9:56 तक है। आज चौदस का श्राद्ध, विज शस्त्रादि से मृतकों का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर सूर्योदय से 7:54 तक, लाभ अमृत 7:54 से 10:47 तक, शुभ 12:14 से 1:41 तक, शर 4:25 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 10:30 से 12:00 तक, सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:02

मेष

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए समय अच्छा है। महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

मिथुन

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों/परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। आज धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

कन्या

मानसिक तनाव दूर होगा। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

घर-गृहस्थी के कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक
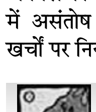
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मीन

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।